



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04092025-265945
CG-MH-E-04092025-265945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3901]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947

No. 3901]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 1 सितम्बर, 2025

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 3199 दिनांक 18/07/2025 के संबंध में, नीचे उल्लिखित अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 4006(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) तहसील के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में, “पनवेल-चौक खंड की मल्टीट्रैकिंग (17.28 किमी)” और “पनवेल-सोमताने और पनवेल-चिखली के बीच पनवेल-कॉड लाइनें (7.54 किमी)” की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र.	सक्षम प्राधिकारी	तालुका	जिला
1.	उप कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) रायगड (o) अलीबाग	पनवेल	रायगड

2.	उप कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) रायगड (o) अलीबाग	खालापूर	रायगड
----	---	---------	-------

[फा. सं. G197/Panvel-Chouk section/7A/Corrigendum]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 1st September, 2025

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 3199 DATED 18/07/2025, THE SCHEDULE MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 4006(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “**Multitracking of Panvel-Chouk section (17.28 Km)**” and “**Panvel-Chord lines between Panvel-Somtane and Panvel-Chikhli (7.54Km)**” in the State of Maharashtra relating to Taluka Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Taluka	District
1	Dy. Collector (Land acquisition) Raigad (o) Alibag	Panvel	Raigad
2	Dy. Collector (Land acquisition) Raigad (o) Alibag	Khalapur	Raigad

[F. No. G197/Panvel-Chouk section/7A/Corrigendum]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)